

आज्ञा विस्तृत रूप से

पञ्जावली पेश हुई। नकील वादी उपर
प्रतिवादी सं. 1/2024, 6 के विश्व एकात्मक
कार्यवाही की जाती है नतीजा एकात्मक
डिवाइड पञ्जावली डिवाइड/4/24 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पञ्जावली पेश हुई। नकील वादी डा. 20
वादी डा. 20 के विश्व एकात्मक
कार्यवाही की जाती है नतीजा एकात्मक
डिवाइड पञ्जावली डिवाइड/4/24 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पञ्जावली पेश हुई। नकील वादी डा. 20
वादी डा. 20 के विश्व एकात्मक
कार्यवाही की जाती है नतीजा एकात्मक
डिवाइड पञ्जावली डिवाइड/4/24 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पञ्जावली पेश हुई। नकील वादी डा. 20
वादी डा. 20 के विश्व एकात्मक
कार्यवाही की जाती है नतीजा एकात्मक
डिवाइड पञ्जावली डिवाइड/4/24 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

नानदा बन्नाम रंगो श्री छीतर वगैर

दिनांक 12/1/2021

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

पञ्जावली पेश हुई। नकील वादी उपरिथत उपरिथत। वहस वादी
सुनी गई। पञ्जावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रस्तुत
वाद में वर्णित भूमि ग्राम कल्याणपुरा 700अ0नि0क्षे0 सांगानेर
पटवार हल्का कल्याणपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित
है जिसके खसरा नम्बर 567 रकबा 0.0700 हैक्टेयर है, वादी
उक्त भूमि का बटवारा 5 खातेदारों के मध्य करवाना चाहता है,
उक्त भूमि रकबे में कम होने के कारण बटवारा नहीं हो सकता
इसलिये वादी का वाद खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सरे इजलास सुनाया
गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

